बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 189

सहकारी बैंकों का नियमन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसी) के कारोबार पर पाबंदी लगा दी। इसके परिणामस्वरूप अगले छह महीनों तक बैंक से नकद निकासी 1,000 रुपये प्रति खाते तक सीमित कर दी गई। इसके अलावा बैंक न तो नया ऋण दे सकेगा, न नई जमा ले सकेगा और न ही किसी तरह का भुगतान कर सकेगा। जाहिर है इस परिणाम के चलते जमाकर्ताओं में घबराहट का माहौल बन गया। अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि नियामक को बैंक पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाने पड़े लेकिन खबरें आ रही हैं कि इसका संबंध हाउसिंग डेवलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचडीआईएल) को बैंक द्वारा दिए गए ऋण से है। यह कंपनी राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट के समक्ष दिवालिया प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत है, हालांकि रियल्टी कंपनी ने इसे चुनौती दी है। एचडीआईएल को दिए गए ऋण से निपटने के मामले में अंकेक्षक और नियामक में मतभेद है। बैंक के संचालन से जुड़े कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं क्योंकि बैंक और एचडीआईएल अतीत में भी आपस में जुड़े रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक का पतन अचानक हुआ और नियामक द्वारा परीक्षण पूरा होने के बाद चीजें अधिक स्पष्ट होकर सामने आएंगी। गत वित्त वर्ष के आखिर में पीएमसी ने 100 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्शाया था। बैंक में 11,000 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर 2.19 फीसदी था जो बेहद कम है।

नियामक और सरकार को चाहिए कि मौजूदा वित्तीय परिदृश्य में सहकारी बैंकों की महत्ता का नए सिरे से आकलन करें ताकि ऐसी घटनाओं का दोहराव रोका जा सके। आरबीआई के मुताबिक गत वित्त वर्ष के अंत में देश में कुल 1,542 शहरी सहकारी बैंक थे। इनमें से 26 पर नियामकीय पाबंदी थी और 46 की परिसंपत्ति नकारात्मक थी। कुछ मामलों में कोर बैंकिंग प्रणाली को अपनाने में देर होती भी दिखी क्योंकि बैंकों के पास पूंजी और विशेषज्ञता का अभाव था। इनमें से कई बैंकों में असली मुद्दा संचालन का था। इस बात से भी कोई मदद नहीं मिलती कि इनका संचालन आरबीआई और संबंधित राज्य की सहकारी समिति का पंजीयक दोनों करते हैं। इतना ही नहीं पूंजी से जुड़े कई मुद्दे भी हैं। शहरी सहकारी बैंक सार्वजनिक निर्गम या प्रीमियम शेयरों के माध्यम से पूंजी नहीं जुटा सकते। उन्हें अल्पावधि की नकदी जरूरतों को पूरा करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि सबकी पहुंच सीधी आरबीआई की नकदी सहायता तक नहीं होती। सहकारी बैंकों की विफलता के पीछे अक्सर मूल वजह उनकी अल्प पूंजी रहती है। उदाहरण के लिए शहरी सहकारी बैंक 25 लाख रुपये से शुरू हो सकते हैं जबकि सूक्ष्म वित्त बैंकों के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए। ऐसे बैंकों में प्राय: राजनीतिक हित जुड़े रहते हैं।

यकीनन अतीत में सहकारी बैंकों की भूमिका काफी अहम रही है। इसमें औपनिवेशिक समय भी शामिल है। परंतु वाणिज्यिक बैंकों के प्रसार और नई तकनीक के आगमन के बाद हाल के वर्षों में उनकी प्रासंगिकता कम हुई है। पूंजी और विशेषज्ञता की कमी के चलते इन बैंकों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों से मुकाबला कर पाना मुश्किल है। ऐसे में व्यापक समीक्षा और कानून में संशोधन जरूरी है ताकि नियमन, विलय और कुछ बैंकों को वाणिज्यिक या सूक्ष्म वित्त बैंकों में बदलने के मामले में आरबीआई को अधिक अधिकार दिए जा सकें। इससे उन्हें भी पूंजी जुटाने और प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। नीतिगत पहल के अभाव में ये बैंक और अधिक संकटग्रस्त होते जाएंगे।

अजय मोहंती

औद्योगिक कार्यों में जल उपयोग पर काबू जरूरी

पानी की औद्योगिक मांग बढ़ने के साथ भारत को अब जलापूर्ति ढांचे में निवेश करना होगा ताकि पानी को लेकर टकराव और उद्योग बंदी की स्थिति से बचा जा सके। बता रहे हैं **मिहिर शाह**

हम इस बात को नकारते रहे हैं कि पानी भारत के आधारभूत ढांचे का सबसे अहम एवं सुधारों से वंचित क्षेत्र है। पानी का अभाव भारत में औद्योगिक वृद्धि को बनाए रखने की राह में बड़ा अवरोधक हो सकता है। पिछले दशक में औद्योगिक इकाइयों का पानी की कमी के चलते बंद होना तेजी से आम हुआ है। भारत की औद्योगिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल तापीय बिजली संयंत्रों में होता है। विश्व संसाधन संस्थान के मुताबिक, वर्ष 2016 में पानी की कमी होने से भारत को 14 टेरावाट की तापीय बिजली नहीं पैदा हो सकी जिससे कुल बिजली उत्पादन में 20 फीसदी से अधिक वृद्धि का नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2013-16 के दौरान पानी के अभाव ने भारत के 20 बड़े तापीय बिजली संयंत्रों में से 14 संयंत्रों को कम-से-कम एक बार अपना उत्पादन ठप करना पड़ा जिससे उन्हें 1.4 अरब डॉलर के संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के नागदा स्थित अपने संयंत्र में स्टेपल फाइबर का उत्पादन कम कर दिया था। इसी तरह 2016 में राष्ट्रीय इस्पात निगम को भारी जल संकट के कारण अपनी क्षमता में कटौती करनी पड़ी।

इसी समय किसानों के साथ टकराव की घटनाएं देश के अलग-अलग स्थानों पर देखने को मिली हैं। वर्ष 2014 में कोका कोला को अपने वाराणसी संयंत्र के विस्तार की योजना को किसानों के विरोध के चलते रद्द करना पड़ा था। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में बजाज एनर्जी के बुरोगांव स्थित संयंत्र पर एक सिंचाई बांध का पानी गैरकानूनी ढंग से लेने का आरोप लगाने वाली याचिका दायर की गई थी। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुंद्रा में टाटा पावर के संयंत्र के निर्माण के चलते स्थानीय किसानों एवं मछुआरों की जिंदगी पर पड़ रहे असर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। हमारे 399 तापीय बिजली संयंत्रों में से करीब 40 फीसदी पानी के अभाव वाले इलाकों में स्थित हैं, लिहाजा किसानों के साथ टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं, खासकर महाराष्ट्र और राजस्थान में।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय उद्योग दुनिया भर में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल है। भारतीय औद्योगिक इकाइयां ताजे पानी पर अत्यधिक निर्भर होने के साथ ही अपने अवशिष्ट पानी को शोधित किए बगैर नदियों एवं खुली जगह पर छोड़ देती हैं। अच्छी खबर यह है कि तकनीक एवं निवेश का इस्तेमाल कर वॉटर फुटप्रिंट को नाटकीय रूप से कम भी किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण थर्मल पावर है। इन संयंत्रों के कूलिंग टावर में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और देश के करीब 90 फीसदी तापीय बिजली उत्पादन में इस काम के लिए मीठे पानी का इस्तेमाल होता है। अनुमान लगाया गया है कि भारत के सभी तापीय बिजली संयंत्रों को ओपन-लूप सिस्टम से बदलकर क्लोज्ड-साइकिल कूलिंग सिस्टम में लाने से रोजाना करीब 6.5 लाख लीटर मीठे पानी की बचत की जा सकती है। तापीय बिजली के उत्पादन में निकलने वाली राख के निष्पादन में भी बड़ी मात्रा में पानी लगता है। राख अवशिष्ट को मीठे पानी का इस्तेमाल कर गारे में तब्दील कर दिया जाता है और फिर उसे निपटान के लिए नजदीकी खाई में डाल दिया जाता है। इस तरह बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का निपटारा हो जाता है। इस पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाकर और रिसाइकल कर अच्छी-खासी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। अपशिष्ट जल शोधन एवं रिसाइक्लिंग प्रणालियों में किए गए निवेश की वसूली तीन साल में ही हो जाती है। शोधित जल के लिए बढ़ती मांग भी एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है।

इस तरह, विकल्प मौजूद हैं और वे आसानी से उपलब्ध होने के साथ ही किफायती भी हैं। फिर उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बार फिर यह नीतिगत प्रोत्साहन का मामला है।

औद्योगिक क्षेत्र का कोई नियमित जल ऑडिट नहीं होता है और पानी लगभग मुफ्त एवं आसानी से उपलब्ध है लिहाजा इसका दुरुपयोग व्यापक है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत के तापीय बिजली संयंत्र पर्यावरण मंत्रालय की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पानी का उपयोग कर रहे हैं। सरकार को समग्र जल ऑडिट को औद्योगिक गतिविधि का एक क्रमिक लक्षण बनाने की जरूरत है ताकि हमें मौजूदा जल उपयोग के बारे में जान सकें, परिवर्तनों की निगरानी करें और सबसे कम लागत वाली जल-सक्षम तकनीक एवं प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकें। इससे पानी की मांग कम करने और प्रति इकाई जल उपयोग पर वर्द्धित औद्योगिक मूल्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपने वार्षिक रिपोर्ट में कंपनियों को साल भर में इस्तेमाल किए गए पानी के बारे में भी जानकारी देना चाहिए। इसमें गतिविधि-आधारित ताजे पानी के उपयोग और हरेक उत्पादन कार्य में दोबारा इस्तेमाल हुए शोधित जल की मात्रा के बारे में भी बताना चाहिए। इस रिपोर्ट में उनकी कुल आपूर्ति श्रृंखला में इस्तेमाल हुए पानी की जानकारी देनी चाहिए।

एक कंपनी को एक निर्धारित अवधि के भीतर पानी के उपयोग में निर्धारित कटौती लाने का एक स्पष्ट रोडमैप और समयसीमा भी बतानी चाहिए। इसी के साथ हमें पारदर्शी लक्ष्य-निर्धारण करने के लिए हरेक गतिविधि में जल-उपयोग का एक बेंचमार्क भी तय करना चाहिए। पानी के अधिक इस्तेमाल वाली इकाइयों- मसलन, ताप बिजली संयंत्र, कागज एवं लुगदी, कपड़ा, खानपान, चर्मशोधन, धातु, रसायन, औषधि, तेल, गैस एवं खनन इकाइयों के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कुछ बेहतरीन इकाइयां पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं।

ऐसे जल ऑडिट से प्रशिक्षण जरूरतों एवं व्यवहारगत बदलावों का कारगर तरीका निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी। व्यवहार एवं तकनीक दोनों स्तरों पर साथ-साथ बदलाव लाने से ही पानी बचाया जा सकता है। उद्योग जगत को इस राह पर अधिक विश्वसनीय ढंग से बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने परिसरों में जल ऑडिट कर एक नजीर पेश करनी चाहिए।

सरकार को ऐसे संस्थानों के गठन में मदद करनी चाहिए जो पानी के विवेकपूर्ण उपयोग संबंधी उद्योग-केंद्रित परंपराओं पर जानकारी मुहैया कराएं, जल ऑडिट एवं जल उपयोग परामर्श सेवाओं में विशेषज्ञता प्रदान करें, विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक असाधारण मामलों के अध्ययन का विवरण दें और जल-संरक्षण एवं जल सक्षम तकनीकों के बारे में जानकारी का मंच बन सकें।

एक बार यह व्यवस्था बन जाने पर दुनिया भर से हासिल अनुभव यह दर्शाएंगे कि अर्थपूर्ण अर्थव्यवस्था में जल उपयोग को असरदार रखा जाता है। मौजूदा समय में जल उपयोग का 15-90 फीसदी हिस्सा ही बचाया जाता है जो अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों पर आधारित होता है। औद्योगिक बंदी और पानी को लेकर टकराव के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सुधारात्मक कदमों का पालन स्वैच्छिक रखना चाहिए। हरेक कंपनी अपने विवेक के आधार पर इसका अनुसरण करे। सरकार को बस इन बदलावों में सक्रिय रूप से सहयोग करने की जरूरत है।

(लेखक शिव नाडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं)

कॉरपोरेट कर में कमी के पीछे का गणित

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अगर कॉरपोरेट कर कटौती से राजकोषीय घाटे पर 1.45 लाख करोड़ रुपये से कम का असर भी पड़ता है, तब भी राजकोषीय मोर्चे पर सरकार की परेशानी खत्म होने वाली नहीं हैं।

पिछले सप्ताह कॉरपोरेट कर की दर कम करने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले से यह बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि इसका सरकार की राजकोषीय स्थिति पर क्या वास्तविक असर होगा। शुक्रवार को सीतारमण ने कहा कि इन उपायों से सरकारी खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

यह बहुत बड़ी राशि है जो मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान आने वाले कुल कॉरपोरेट कर संग्रह का करीब 19 फीसदी है। इससे राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी तक बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार का राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी के लक्ष्य से बढ़कर 4 फीसदी पहुंच जाएगा। लेकिन रविवार को सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि दर में कटौती के बाद वह इसके अनुपालन में सुधार की उम्मीद कर रही हैं और इससे उन्हें राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिके रहने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकारी खर्च में कटौती करने की कोई योजना नहीं है।

तो फिर सीतारमण के इस आत्मविश्वास का क्या राज है जिसके आधार पर वह यह दावा कर रही हैं कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से नहीं फिसलेंगी या सरकारी खर्च में भी कटौती नहीं करेंगी?

वित्त मंत्री ने जिस तरह कॉरपोरेट कर की दरों में बदलाव किया है, अगर आप थोड़ा उसकी तह में जाएंगे तो आपको पता चल सकता है कि उनके आत्मविश्वास की वजह क्या है। वह उम्मीद कर रही हैं कि कई कंपनियां उन्हें मिल रहे कर प्रोत्साहन और छूट को त्याग देंगी और 25 फीसदी की नई कर व्यवस्था अपनाएंगी। उल्लेखनीय है कि 25 फीसदी की नई कर दर का फायदा केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो मौजूदा कर प्रोत्साहनों और छूट को छोड़ देंगी। एक बार आपने इसे छोड़ दिया तो आप दोबारा इस व्यवस्था में नहीं लौट पाएंगे।

तो फिर इस तरह की छूट और प्रोत्साहन के कारण सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ? वित्त वर्ष 2018-19 में 28 तरह की विभिन्न कर छूट और प्रोत्साहन के कारण सरकार को 1.08 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इनमें निर्यात, त्वरित मूल्यह्रास, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने और खास राज्यों में निवेश पर मिलने वाली छूट और कर प्रोत्साहन शामिल हैं। सरकार के राजस्व को 80 फीसदी से अधिक नुकसान निर्यात लाभ और त्वरित मूल्यह्रास के कारण हुआ।

मान लीजिए कि अगर सभी कंपनियां 25 फीसदी कर की दर का विकल्प चुनती हैं और कर प्रोत्साहन एवं छूट को छोड़ देती हैं तो सरकार को 1.08 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार को वित्त वर्ष 2018-19 में कर प्रोत्साहन और छूट के कारण इतना ही नुकसान हुआ था। अभी इसका कोई अनुमान नहीं है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सरकारी खजाने को इस कारण कितना नुकसान होगा। संभव है कि इस पूरी राशि की बचत नहीं होगी क्योंकि कुछ कंपनियां ये छूट लेना ही जारी रखेंगी। लेकिन निश्चित रूप से बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह कॉरपोरेट कर की दर में कमी के सीतारमण के फैसले से राजस्व के नुकसान का एक हिस्सा बच जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दर (कर छूट के बाद) 2018-19 में 29 फीसदी थी जबकि कर की वास्तविक दर 35 फीसदी थी। कुल मिलाकर उद्योग जगत को चार फीसदी का शुद्ध कर लाभ होगा। पहले कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर 29 फीसदी थी जो अब 25 फीसदी हो गई है।

लेकिन छूट लाभ के नुकसान के साथ-साथ कर की दरों में बदलाव का असर अलग-अलग कंपनियों पर अलग-अलग होगा। बैंक जैसी वित्तीय सेवा कंपनियों को भारी फायदा होगा क्योंकि अभी उन्हें कर छूट का कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी संख्या में बुनियादी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को कर छूट का भारी फायदा मिलता है। अगर वे नई कर दरों को अपनाती हैं तो सरकार को कर प्रोत्साहन के रूप में राजस्व का कम नुकसान होगा।

अगर शेयर बाजारों में तेजी आई है तो इसकी वजह यह है कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क सूचकांकों में बड़ी संख्या में वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। क्रिसिल रिसर्च द्वारा 1,000 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक सीतारमण की घोषणा के कारण उन्हें कर में करीब 37,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।

आखिर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उद्योग जगत का वास्तविक फायदा इतना कम है तो सरकार के राजस्व का नुकसान 1.45 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से बहुत कम होगा। तो क्या वास्तविक कर प्रोत्साहन पूर्वानुमान से बहुत कम है और शेयर बाजारों ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी है?

इतना तो तय है कि अगर कॉरपोरेट कर कटौती से राजकोषीय घाटे पर 1.45 लाख करोड़ रुपये से कम का असर भी पड़ता है, तब भी राजकोषीय मोर्चे पर सरकार की परेशानी खत्म होने वाली नहीं हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में सकल कर संग्रह में कमी (यह केवल 6 फीसदी बढ़ रहा है जबकि बजट लक्ष्य 18 फीसदी बढ़त का है) का मतलब होगा कि राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3 फीसदी रखने का लक्ष्य हासिल करना किसी भी स्थिति में मुश्किल होगा।

कानाफूसी

कठिन होगा चुनाव

ऐसा लग रहा है कि क्रिकेटर से राजनेता बने सांसद गौतम गंभीर और गायन एवं अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में आए सांसद मनोज तिवारी के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। बीते काफी समय से भाजपा के ये दोनों सांसद सार्वजनिक रूप से साथ आने से बच रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गंभीर की टीम इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं थी कि तिवारी वहां आएंगे या नहीं। आमना-सामना होने से बचने के लिए गंभीर ने तय किया कि वह कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं। तिवारी ने भी गंभीर के नेतृत्व में होने वाली तमाम बैठकों से दूरी बनाए रखी है। इस बीच सबकी निगाहें पार्टी नेतृत्व पर हैं जो दिल्ली में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर सकता है। अगर दिल्ली में पार्टी इकाई के चुनाव नहीं होते हैं और तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने रहते हैं तो माना जा सकता है कि तिवारी ही आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे।

खुशी की कीमत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एक सर्वेक्षण का लोकार्पण किया। यह सर्वे महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कद और उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर केंद्रित था। पुणे के एक संगठन दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र नामक संगठन द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में दो वर्ष तक 75,000 महिलाओं से बातचीत की गई। तमाम अन्य बातों के अलावा सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि इस सर्वेक्षण में शामिल 90 फीसदी ऐसी महिलाएं जिनकी कोई आय नहीं थी, वे बेहद प्रसन्न और बेहतर स्थिति में थीं। सर्वेक्षण के मुताबिक इससे पता चलता है कि पारिवारिक आय का प्रसन्नता से कोई संबंध नहीं है।

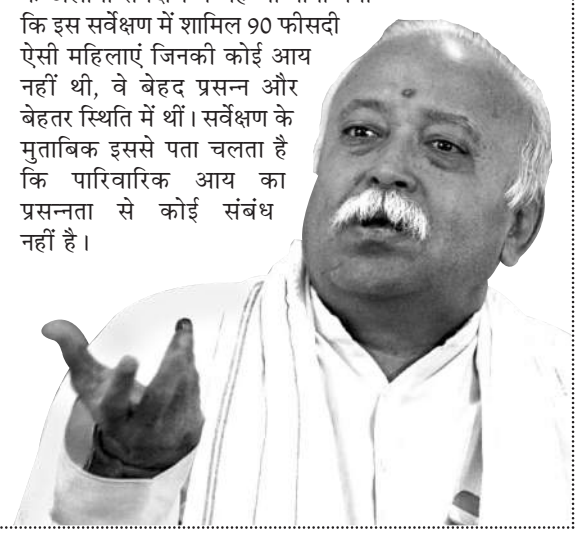

आपका पक्ष

उद्योग को राहत, उपभोक्ता को कब

देश के उद्योग जगत ने मंदी का ऐसा माहौल पैदा किया कि सरकार को उन्हें करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का राहत देनी पड़ी। मंदी का ऐसा माहौल बनाया गया कि उद्योग-धंधे डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। बाइक से लेकर बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी की बात करने लगी। इससे सरकार पर दबाव बनाया गया जिससे मजबूरन सरकार को पिटारा खोलना पड़ा। बाजार में मांग बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला वस्तुओं की कीमत कम करें और दूसरा उपभोक्ताओं को बचत बढ़ाने का इंतजाम करें। सरकार उपभोक्ताओं के बचत बढ़ाने और टैक्स कम करने का भी रास्ता चुन सकती थी। लेकिन सरकार ने आसान रास्ता चुना और कंपनियों की झोली भर दी। कंपनियों को मिले टैक्स छूट का फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनियों को उत्पाद के दाम कम करने चाहिए। लेकिन कंपनियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कंपनियां टैक्स छूट का फायदा उपभोक्ताओं को देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि अब किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। बेरोजगारों के लिए दरवाजे खुलेंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सरकार द्वारा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगों को राहत देने के लिए कॉरपोरेट कर में कमी की

दी गई रियायतों के बाद मांग और निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी। आने वाली तिमाही में कंपनियों के नतीजे से सरकारी रियायतों का लेखा-जोखा मिल सकेगा। अगर सरकारी रियायत एक असामयिक और बदकिस्मत सुधार साबित हुआ तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार के बजट संतुलन और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रहे जब मांग चरम में थी तो कंपनियां ऊंचे टैक्स पर भी निवेश कर रही थीं।

राजीव सिंह, हैदराबाद

प्रदूषण रोकने में मिलेगी मदद

सरकार द्वारा एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के प्रयोग पर लगाया गया प्रतिबंध बेहद सराहनीय पहल है। इससे लंबी अवधि में कई फायदे होंगे जैसे भूजल स्तर में सुधार, मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण और प्लास्टिक के जलने से निकलने वाले जहरीली गैसों से पर्यावरण को नुकसान कम किया जा सकेगा। माइक्रो प्लास्टिक के कारण समुद्र, नदियों तथा अन्य जलाशयों का जलीय जीवन प्रभावित हुआ है जिसके कारण तटीय क्षेत्रों के निवासियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कचरे के ढेर पर पड़े प्लास्टिक के टुकड़े गाय, भैंसों और अन्य मवेशी खा लेते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक पर रोक लगाने से इन जानवरों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। प्लास्टिक जो अब तक पर्यावरण में मौजूद हैं उनका प्रयोग सड़कें बनाने में किया जा सकता है। इससे बुनियादी ढांचा तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। केवल एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने से काम नहीं चलेगा। लोगों को प्लास्टिक के स्थान पर बेहतर विकल्प मुहैया कराना जरूरी है। इसके लिए शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जन जागरूकता, जन सहभागिता तथा नवोन्मेष एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को रोकने का बेहतर उपाय है।

मनोहर दत्त मिश्रा, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।